न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण नं. 19/2023 **दायरा दिनांक :– 08.02.2023**

1. दयाराम
2. साहबराम

पुत्रगण सोहनलाल अकवाम बिश्नोई निवासीयान मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अमनदीपसिंह पुत्र सरदुलसिंह
2. रमनदीपसिंह पुत्र सरदुलसिंह

अकवाम तरखान निवासीयान सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3. प्रमीला पत्नी राधेश्याम जाति बिश्नोई निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. शाखा प्रंबधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा, भगवानसर।
5. शाखा प्रंबधक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा, सूरतगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीए 1955</u>

उपस्थित :–

1. श्री कुलविन्द्रसिंह एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार नं. 6

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–26.02.2024**

प्रार्थी ने 251 (क) आर.टी.ए. प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 3 के नाम से संयुक्त खाते में वाके चक 10 एस.डी. पटवार हल्का जानकीदासवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/27 के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 1–2/0.506, 10 ता 12/0.759, 18 ता 23/1.518 = 2.783 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 109/403 (52) के किला नं. 21–22/0.506 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 109/404 (57) के किला नं. 1–2/0.506, 9 ता 12/1.012, 19–20/0.506, 21/1 में 0.228, 22/1 में 0.228 = 2.480 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 109/405 (61) के किला नं. 1–2/0.506 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 6.275 हैक. कमाण्ड में प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व अप्रार्थी नं. 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाते में वाके चक 10 एस.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

संख्या 79/64 के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 16–17/0.506, 24–25/0.506 = 1.012 हैक. कमाण्ड में प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण को अपने रकबा को जाने के लिये अप्रार्थी नं. 1 व 2 के नाम के चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 24, 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता से आता जाता है। तथा प्रार्थीगण इस चालू रास्ता को मंजूर करवाना चाहते है। प्रार्थीगण को इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण इसी रास्ता से जाकर अपने खेत को काश्त करते है। इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी फसली उपज को घर लेकर आते है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण मवेशियो के लिये हरा–चारा अपने घर लेकर आते है। यह रास्ता मंजूर हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने जाने की समस्या खत्म हो जावेगे। प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 24, 25 की 2–2 बिस्वा दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम के बदले प्रार्थीगण अपने खातेदारी रकबा में से भूमि देने के लिये तैयार है व डी.एल.सी. दर से रुपये जमा करवाने को भी तैयार है। उक्त पत्थर नं. 109/402 (47) का रकबा एक ही किस्म का है व एक ही किमत का है। अप्रार्थी नं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण को भूमि रास्ता में देने पर व अप्रार्थीगण अपने से चिपते हुये भूमि ले सकते है। प्रार्थीगण को इसमें कोई आपति नही है। चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 24, 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता से आता जाता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को इस रास्तें की अत्यन्त आवश्यकता है।

प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 24, 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता की भूमि के बदले भूमि एवं डी.एल.सी. दर से रूपये जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रास्ता बाबत बिन्दूवार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु साधारण व रजिस्ट्रर्ड नोटिस भेजे गये। अप्रार्थी नं. 1 ता 5 को बार बार आवाजे लगवाई गई, बावजूद रजि. नोटिस सूचना हाजिर नही आने पर इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। रिर्पोट तहसील आ चुकी है। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस रखी गई। व बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को दोहराते हुये

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी रकबा में जाने हेतु चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 24, 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता मंजूर किया जावें। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के रकबा को अन्य कोई रास्ता नही लगता है। रास्ते में मंजूर की जाने वाली भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी. दर से रूपये देने के लिये तैयार है। तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट में भी रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता बताई है।

हमने अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलरदार रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता पाई गई व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उक्त रकबा हेतु नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (क) हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं. 1 व 2 के नाम खातेदारी भूमि चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 24, 25 में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा स्वीकृत शुदा रास्ता की एवज में प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 109/402 (47) के किला नं. 18 में 4 बिस्वा भूमि उतर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी पासा में अप्रार्थी नं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आदेश की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)